अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
GRANT No. 92 - MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7095,27,00	7095,28,00	5167,93,16	-1927,34,84
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1927,34,22
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		110,37,00	86,04,95	-24,32,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24,31,99

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	26572.00	23057.29	23056.81	-0.48
पु.	R.	-3514.71			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	551963.00			
पू.	S.	1.00	489038.28	489038.18	-0.10
पु.	R.	-62925.72			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	42506.00			
			..	..	..
पु.	R.	-42506.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	47114.00			
			4537.20	4537.17	-0.03
पु.	R.	-42576.80			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	41372.00			
			161.01	161.00	-0.01
पु.	R.	-41210.99			

(I) ₹132657.00 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹132296.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2230" – "प्रशिक्षण" –

(क) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹7480.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹1660.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "प्रशिक्षण – शिक्षुता प्रशिक्षण" –

(क) "नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹10000.00 लाख।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "कौशल भारत कार्यक्रम" – ₹26856.00 लाख;

(ग) "ईएपी – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)" – ₹3800.00 लाख; और

(घ) "संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण" – ₹1850.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(I) Provision of ₹132657.00 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads, of these ₹132296.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" - "Training" -

(a) "Industrial Training Institutes - New ITI Upgradation Scheme" - ₹7480.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - New ITI Upgradation Scheme" - ₹1660.00 lakhs; and

(B) Major Head "2552" - "Training - Apprenticeship Training" -

(a) "New ITI Upgradation Scheme" - ₹10000.00 lakhs.

Provision under the above three heads remained unutilised due to non-approval of scheme by the Cabinet.

(b) "Skill India Programme" - ₹26856.00 lakhs;

(c) "EAP-Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)" - ₹3800.00 lakhs; and

(d) "Strengthening of Infrastructure for Institutional Training" - ₹1850.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" -"Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा – सहायता / हिस्सा"– ₹29920.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹6640.00 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹3440.00 लाख;

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजना" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹6640.00 लाख;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹3440.00 लाख; और

(ग) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹29920.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना" – ₹650.00 लाख संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और उच्च एसएनए शेष वाले संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी न करने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान" के अंतर्गत ₹2467.89 लाख की बचत (₹18414.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने, मांगों / प्रस्तावों / दावों की प्राप्ति न होने तथा कम परामर्शदाताओं की भर्ती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Central Assistance/Share - Assistance/ Share" - ₹29920.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - New ITI Upgradation Scheme" - ₹6640.00 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - New ITI Upgradation Scheme" - ₹3440.00 lakhs;

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Scheme" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - New ITI Upgradation Scheme" - ₹6640.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub-Plan - New ITI Upgradation Scheme" - ₹3440.00 lakhs; and

(c) "Central Assistance/Share" -

(i) "New ITI Upgradation Scheme" - ₹29920.00 lakhs.

Provision under the above six heads remained unutilised due to non-approval of scheme by the Cabinet.

(ii) "Strengthening of Infrastructure for Institutional Training" - ₹650.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from UTs and non-release of funds to UTs with high SNA balance.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - National Skill Training Institutes" - saving of ₹2467.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18414.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-receipt of demands/propoals/claims and less recruitment of consultants.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "प्रशिक्षुता प्रशिक्षण – कौशल भारत कार्यक्रम" – ₹8747.65 लाख की बचत (₹181021.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– कौशल भारत कार्यक्रम" – ₹5230.02 लाख की बचत (₹39977.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "कौशल भारत कार्यक्रम" – ₹2511.55 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20711.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "नए आईटीआई उन्नयन योजना" – ₹859.21 लाख की बचत (₹860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों में अंतरण – माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को निधियों का अंतरण" – ₹36764.00 लाख की बचत (₹268564.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम को अनुमोदन न दिए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2230" - "Training" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Apprenticeship Training - Skill India Programme" - saving of ₹8747.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹181021.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Skill India Programme" - saving of ₹5230.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39977.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Skill India Programme" - saving of ₹2511.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20711.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-approval of programme.

(b) "New ITI Upgradation Scheme" - saving of ₹859.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹860.00 lakhs) was due to non-approval of scheme by the Cabinet

(D) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Funds Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)" - saving of ₹36764.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹268564.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-approval of programme.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – ईएपी – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)" – ₹1610.34 लाख की बचत (₹3964.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Central Assistance/Share - EAP-Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)"- saving of ₹1610.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3964.00 lakhs); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– ईएपी – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)" – ₹617.49 लाख की बचत (₹880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)"- saving of ₹617.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹880.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा एसएनए दिशानिर्देशों की वजह से उच्च एसएनए शेष वाले राज्यों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from States and non-release of funds to States with high SNA balances owing to SNA guidelines.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1297.91 लाख की बचतें हुईं, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under four heads saving of ₹1297.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2230" – "प्रशिक्षण – शिक्षुता प्रशिक्षण – ईएपी – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित की गईं – ₹1032.82 लाख का अधिक व्यय (₹21264.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2230" - "Training - Apprenticeship Training - EAP - Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)" - excess of ₹1032.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21264.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹271.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹271.00 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4250" सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	10412.00	8605.01	8604.95	-0.06
पु.	R.	-1806.99			
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	625.00	..	..	..
पु.	R.	-625.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹633.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹625.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "प्रशिक्षण – शिक्षुता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹633.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads, of these ₹625.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552"- "Training -Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation of projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim .

(II) मुख्य शीर्ष "4250" – "निदेशन एवं प्रशासन – संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत ₹1417.74 लाख की बचत (₹9731.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कार्य पूरा न किए जाने तथा फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4250" - "Direction and Administration - Attached Offices" - saving of ₹1417.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9731.00 lakhs) was due to non-completion of work by some National Skill Training Institutes and non-finalisation of proposals for procurement of furniture and fixture.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹381.31 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 57 प्रतिशत है।

(III) Under one head saving of ₹381.31 lakhs occurred constituting 57 percent of the sanctioned provision.

4. *माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोषः–*

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष का वित्तपोषण वर्ष 2018–19 से निगम कर और आयकर पर 4% की दर से लगाए गए 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' से प्राप्त राशि से किया जाता है। 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' से प्राप्त राशि का उपयोग अब तक शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है। 'माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष' की आरक्षित निधि का संचालन शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा, साक्षरता और उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। चूंकि कौशल विकास मानव विकास का एक अभिन्न अंग है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023–24 से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के वित्तपोषण के लिए 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जाए।

'माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष' के माध्यम से 'कौशल भारत कार्यक्रम' योजना के वितपोषण हेतु बजट अनुमान 2024–25 में मांग संख्या 92–कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के लिए ₹2685.64 करोड का प्रावधान किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत 'कौशल भारत कार्यक्रम' पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2024–25 में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को ₹2318.00 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार थाः–

4. *Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK):-*

Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK) is financed through proceeds from 'Health and Education Cess' levied @ 4% on Corporation and Income tax from 2018-19. Proceeds from 'Health and Education Cess' have hitherto been utilised towards financing schemes of Ministry of Education and Ministry of Health and Family Welfare. The reserve fund 'Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh' is operated towards financing the specific schemes under school education, Literacy and Higher Education of Ministry of Education. As skill development constitutes an integral component of human development, it has been decided to also utilize proceeds from 'Health and Education Cess' for financing Schemes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship from 2023-24.

A provision of ₹2685.64 Crore was made for Demand No. 92-Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in BE 2024-25 for financing the scheme 'Skill India Programme through 'Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh' (MUSK). An amount of ₹2318.00 crore was transferred to Madhaymik and Uchehtar Shiksha Kosh (MUSK) in F.Y. 2024-25 for amount to be recouped in respect of expenditure incurred on the 'Skill India Programme' under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

The Account of the Fund for FY 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1032,83,00
प्राप्तियां	Receipt	2318,00,00
अदायगियां	Payments	2252,19,78
अंतशेष	Closing Balance	1098,63,22